भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 38**

17.07.2017 को उत्‍तर के लिए

**गोडावण का संरक्षण**

**38. श्री राम नारायण डूडी:**

क्‍या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. केन्‍द्र सरकार द्वारा गोडावण (ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड) प्रजाति के संरक्षण हेतु क्‍या प्रयास किए जा रहे हैं; और
2. क्‍या केन्‍द्र सरकार राजस्‍थान के जैसलमेर क्षेत्र में गोडावण प्रजनन केन्‍द्र स्‍थापित करने की मंशा रखती है, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉ. हर्ष वर्धन)**

1. सरकार द्वारागोडावण (ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड) के संरक्षण हेतु किए गए प्रमुख प्रयास नीचे दिए गए हैं :
2. ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड को वन्‍यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-। में सूचीबद्ध करके उन्‍हें शिकार से उच्‍चतम दर्जे का कानूनी संरक्षण दिया गया है ।
3. ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड के प्रमुख पर्यावासों को उनके बेहतर संरक्षण हेतु राष्‍ट्रीय उद्यानों/अभ्‍यारण्‍यों के रूप में नामित किया गया है ।
4. मंत्रालय ने राजस्‍थान, गुजरात और महाराष्‍ट्र राज्‍यों में संकटापन्‍न प्रजाति बहाली कार्यक्रम स्‍कीम के अन्‍तर्गत ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड के संरक्षण प्रजनन हेतु पहल की है ।
5. राज्‍य सरकार के परामर्श से भारतीय वन्‍यजीव संस्‍थान और अन्‍तरराष्‍ट्रीय विशेषज्ञों ने जिला कोटा, राजस्‍थान में संरक्षण प्रजनन केन्‍द्र की स्‍थापना के लिए एक स्‍थल को अभिज्ञात किया गया है ।
6. राजस्‍थान वन विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्‍थान के 'थार भू-दृश्‍य' में ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड और संबंधित प्रजातियों की संख्‍या के निर्धारण सर्वेक्षण कराए गए हैं ।
7. ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड का पता लगाने तथा उनके आवागमन तथा व्‍यवहार का अध्‍ययन करने के लिए सिंधोडी, कच्‍छ, गुजरात में मई, 2017 में दो ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड (एक किशोर नर और मादा) में रेडियो-टैग के साथ छोटे बैकपैक लगाए गए हैं ।
8. राजस्‍थान राज्‍य वन विभाग ने कोटा के निकट 'सोरसन' में ग्रेट इण्डियन बस्‍टर्ड के लिए कृत्रिम प्रजनन केन्‍द्र और जैसलमेर में इनके अंडों का संग्रहण केन्‍द्र स्‍थापित करने का निर्णय लिया है ।

विभिन्‍न जटिलताओं के मद्देनजर ऐसी सुविधाओं की स्‍थापना के लिए कोई विशिष्‍ट समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है ।

\*\*\*\*\*